# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0137 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/07/2024 15:43 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(1)(b) |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(2) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): बुधवार Date From (दिनांक से): 01/05/2024 Date To (दिनांक तक): 01/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:40 बजे Time To (समय तक): 16:25 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/07/2024 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/07/2024 15:43:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 1 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): MAIN GATE KE SAMNE, ARANY BHAWAN JHALANA JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य) ):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Chhotee Lal Meena

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/05/1977 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | Lalar, Bassi, TUNGA, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | Lalar, Bassi, TUNGA, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJKUMAR SHARMA | | पिता:KEDAR NARAYAN SHARMA | 1. DHOLA KA KHERA,MALPURA,DIGGI,TONK, RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 1,05,200.00 |

[redacted]



10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 1,05,200.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

दिनांक 01.05.2024 को समय 01.40 पी.एम. पर मन् छोटीलाल पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि भैरूलाल गोस्वामी, अकाउन्टेंट वन विभाग बूंदी कमीशन (रिश्वत) के रूपये एकत्रित करके वाहन संख्या आर.जे. 08 सी.बी. 4398, मारूति बलेनो, ग्रे-कलर से बूंदी से रवाना होकर अरण्य भवन, वन विभाग जयपुर में कमीशन (रिश्वत) राशि अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को वितरित करने आ रहे हैं। जिस पर स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेष कुमार व श्री राजेष गहलोत को पी.एच.ई.डी. गांधीनगर जयपुर से तलब किया जाकर समय 2.40 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपर्युक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान, श्री मनोहर सिंह ए.एस.आई., श्री अशोक कुमार एच.सी. 149, श्री पूरण सिंह एच.सी. 95, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 55, श्रीमती ममता राठौड़ महिला कानि. 251 के मय लेपटॉप प्रिंटर, आवश्यक साजो सामान के जरिये राजकीय वाहन मय चालक के कार्यालय से रवाना होकर सयम 2.45 पी.एम. पर अरण्य भवन चौराहा, झालाना, जयपुर पहुंचकर सरकारी वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करवाकर सर्च टीम को आवश्यक हिदायत देकर अरण्य भवन चौराहे के आस-पास वाहन संख्या आर.जे. 08 सी.बी. 4398, मारूति बलेनो, ग्रे-कलर को रूकवाने बाबत अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मौका अनुसार खड़ा किया। समय 4.25 पी.एम. पर मालवीय नगर की तरफ से एक ग्रे कलर की मारूति बलेनो कार नं. आर.जे. 08 सी.बी. 4398 आती हुई दिखाई दी जो अरण्य भवन चौराहे पर मुड़कर अरण्य भवन स्थित वन विभाग के कार्यालय में जाने लगी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मय हमराहीयान जाप्ता की मदद से उक्त वाहन को अरण्य भवन स्थित वन विभाग के मुख्य गेट के बाहर मैन रोड़ पर रूकवाकर देखा तो उक्त वाहन के अन्दर चालक सहित पांच व्यक्ति बैठे हुए थे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक नें उक्त वाहन में बैठे व्यक्तियों को अपना व दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराही जाप्ता का परिचय देकर उक्त वाहन में बैठे पांचों व्यक्तियों को वाहन से बाहर उतारकर, वाहन व पांचों व्यक्तियों को जाप्ता की मदद से अरण्य भवन स्थित वन विभाग के कार्यालय के मैन गेट के अन्दर गार्ड रूम के पास लेकर आये। उक्त वाहन के चालक से अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमार शर्मा होना बताया तथा स्वयं को वन रक्षक, रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में पदस्थापित होना बताया तथा पीछे बैठे व्यक्तियों के बारे में पूछने पर स्वयं के विभाग के कर्मचारी होना बताया जिस पर सभी को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा तो सभी नीचे उतरे। उक्त वाहन नम्बर आर जे 08 सीबी 4398 की तलाशी अन्दर से स्वतंत्र गवाहान तथा हमराही जाप्ते की मदद से ली गई तो कोई संदिग्ध राशि नही पायी गयी तत्पश्चात् चालक श्री राजकुमार शर्मा से वाहन की डिग्गी को खुलवाकर दोनों गवाहान से चैक करवाया तो वाहन की डिग्गी में 5 बैग रखे हुए मिले। इन बैगों के बारे मे‌ पूछने पर उक्त पांचो व्यक्तियों ने स्वयं के होना बताया। इसके बाद वाहन की डिग्गी में रखे पांच बैगों को दोनो गवाहान से वाहन की डिग्गी से निकलवाकर दोनों गवाहान से तलाशी लिवाई गई तो चार बैगों में तो इस्तेमाली पहनने के कपड़े मिले तथा एक काले रंग का बैग जिस पर उप वन संरक्षक (वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, सवाई माधोपुर लिखा हुआ था की तलाशी में बैग के पीछे की चैन के अन्दर पांच-पांच सौ रूपये की 2 गड्डी मिली जिनको दोनों गवाहान से गिनवाया तो कुल 95000 रूपये व अन्य कार्यालय संबंधी सामान्य दस्तावेज रखे होना पाये गये। उक्त पांचों व्यक्तियों से यह बैग किसका है के बारे में पूछा तो एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राजकुमार बताया ने स्वयं का होना बताया। उक्त व्यक्ति से बैग में मिले 95000 रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बंटी माली जो कि ग्राम चांदसेन पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक का रहने वाला है को माह मार्च 2024 में सरसों बेची थी, वह पैसे हैं। जिसके पश्चात् उक्त पांचों व्यक्तियों से बारी-बारी नाम पता पूछा तो अपना नाम 1. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री केदार नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम धोला का खेड़ा, तहसील मालपुरा, पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक हाल पेशा वन रक्षक रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी मोबाईल नं. होना बताया। जिसकी जामा तलाशी गवाह श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की सामने की जेब में 10200 रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर बताया कि बंटी माली को जो सरसों बेची थी यह रूपये भी उसके हैं। इस पर बंटी माली के मोबाईल नम्बर पूछे तो याद नहीं होना बताया। बैग में रखे कार्यालय से संबंधी दस्तावेजों के बारे में पूछा तो कार्यालय के दैनिक कार्यो से संबंधित पुराने दस्तावेज होना बताया। जिनके आधार पर उच्चाधिकारियों द्वारा चाहने पर तत्काल सूचना भिजवाने हेतु स्वयं के पास रखना बताया। जिस पर श्री राजकुमार शर्मा द्वारा बरामद राशि के सम्बन्ध में पूछने पर दिये गये वर्जन को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जरिये मोबाइल विडियो रिकॉर्डिंग की गयी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति से नाम पता

पूछा तो अपना नाम श्री शक्ति प्रकाश पुत्र श्री अमरलाल, जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी गांव देवपुरा पुलिस थाना देवपुरा, तहसील व जिला बूंदी हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक बूंदी मोबाईल नं. होना बताया। जिसकी जामा तलाशी गवाह श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब से 50000 रूपये तथा दूसरी जेब से 11320 रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर श्री शक्ति प्रकाश ने बताया कि 50,000 रूपये तो मैंने मेरे बैंक खाता संख्या 51007995465 शाखा एस.बी.आई. इन्द्रा मार्केट बूंदी से दिनांक 30.04.2024 को निकाले थे यह वही राशि है तथा 11320 रूपये स्वयं के खर्चे के लिए घर से लेकर आया हूं। जिस पर श्री शक्तिप्रकाश द्वारा बरामद राशि के सम्बन्ध में पूछने पर दिये गये वर्जन को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जरिये मोबाइल विडियो रिकॉर्डिंग की गयी। इसके बाद तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री भैरूलाल गोस्वामी पुत्र श्री भंवर लाल जाति गोस्वामी, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम बासनी, तहसील व थाना हिण्डोली, जिला बूंदी हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक बूंदी मोबाईल नं. होना बताया। जिसकी जामा तलाशी गवाह श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में 29500 रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर श्री भैरूलाल ने बताया कि मैं गोवा घूमने जांउंगा इसलिए यह रूपये मैं घर से खर्चे के लिए लाया हूं। जिस पर श्री भैरूलाल गोस्वामी द्वारा बरामद राशि के सम्बन्ध में पूछने पर दिये गये वर्जन को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जरिये मोबाइल विडियो रिकॉर्डिंग की गयी। इसके बाद चौथे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री महावीर प्रसाद रैगर पुत्र श्री छीतरमल रैगर, उम्र 36 साल निवासी ग्राम खेड़ी पोस्ट शहण पुलिस थाना देई जिला बूंदी हाल सहायक वन पाल कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी मोबाईल नं. होना बताया। जिसकी जामा तलाशी गवाह श्री राजेश गहलोत से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की बांयी जेब से 5170 रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर बताया कि मुझे खाटू श्यामजी दर्शन के लिए जाना है, इसलिए यह रूपये मैंने अपने ससुर जी श्री गिर्राज जी निवासी देई जिला बूंदी से खर्चे के लिए लेकर आया हूं। जिस पर श्री महावीर प्रसाद रैगर द्वारा बरामद राशि के सम्बन्ध में पूछने पर दिये गये वर्जन को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जरिये मोबाइल विडियो रिकॉर्डिंग की गयी। तत्पश्चात् श्री महावीर प्रसाद रैगर से उसके मोबाईल में गिर्राज जी देई के नाम से सेव मोबाईल नं. पर समय 4.56 पी.एम. पर स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाकर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा वार्ता कर स्वयं का परिचय देकर बरामद राशि दिये जाने के बारे में पूछा तो मोबाईल पर वार्ता करने वाले व्यक्ति ने स्वयं का नाम गिर्राज होना स्वीकार कर कहा कि महावीर प्रसाद रैगर मेरे दामाद है जिनको मैंने पैसे दिये हैं, कितनी राशि दी है इस बाबत मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछने पर पहले तो तीन-चार हजार फिर थोड़ी देर बाद तीन-चार लाख रूपये देना बताया। उक्त कॉल की वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद पांचवे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री रामसागर गुर्जर पुत्र श्री किशनलाल, जाति गुर्जर, उम्र 34 साल, ग्राम पोस्ट जजावर, तहसील व थाना नैनवा जिला बूंदी हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी मोबाईल नं. होना बताया। जिसकी जामा तलाशी गवाह श्री राजेश गहलोत से लिवाई गई तो पहनीं हुई पेंट की दाहिनी जेब में 3100 रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर खर्चे के लिए स्वयं के घर से लाना बताया। जिस पर श्री रामसागर गुर्जर द्वारा बरामद राशि के सम्बन्ध में पूछने पर दिये गये वर्जन को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जरिये मोबाइल विडियो रिकॉर्डिंग की गयी। उक्त पांचों व्यक्तियों से उपर्युक्तानुसार बरामद राशि गवाह श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई। इस समय तक मौके पर वन विभाग अरण्य भवन के कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी हो जाने के कारण मौके पर कार्यवाही में व्यवधान होने की सम्भावना होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम कार्यवाही व लिखा-पढ़ी की कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय में किये जाने का निर्णय लेकर उक्त पांचों व्यक्तियों तथा वाहन संख्या आर.जे. 08 सी.बी. 4398 को साथ लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के वाहनों से समय 5.05 पी.एम. पर मौके से रवाना होकर समय 5.10 पी.एम. पर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय पहुंचा। जहां पर फर्द तैयार करने की कार्यवाही व अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यालय में पहुंचकर उक्त पांचों संदिग्ध कर्मचारियों से पृथक-पृथक, बारी-बारी पुनः पूछताछ प्रारंभ की गईः- श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री केदार नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम धोला का खेड़ा, तहसील मालपुरा, पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक हाल पेशा वन रक्षक रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी ने पूछताछ पर उससे बरामद राशि 95000 रूपए एवं 10200 रूपये कुल 1,05,200/- रूपये बंटी माली को सरसों बेचने की एवज में प्राप्त होना बताया। जिस पर राजकुमार शर्मा से स्वयं का मोबाईल ऑन करवाकर चैक किया तो उसके मोबाईल में बंटी माली सेठ के नाम से मोबाईल नं. सेव होना पाया गया। जिस पर राजकुमार शर्मा के मोबाईल से उक्त मोबाईल पर समय 5.16 पी.एम. पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मोबाईल उठाने वाले व्यक्ति को स्वयं का परिचय देकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बंटी होना स्वीकार किया तथा राजकुमार शर्मा को जानने के संबंध में पूछा तो खेड़ा वाले राजकुमार के नाम से पहचानना बताया तथा बरामद राशि दिये जाने के संबंध में पूछा तो उसने सरसों खरीदने की बात बताकर राशि देना बताया । कितनी राशि दी गई बाबत पूछने पर एक लाख रूपये के आस-पास देना बताया तथा तीन चार महिने पहले राजकुमार के पिताजी को देना बताया। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसके पश्चात

[redacted]



राजकुमार शर्मा के मोबाईल में पापाजी के नाम से सेव मोबाईल नम्बर पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कॉल करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर राजकुमार शर्मा को राशि दिये जाने के संबंध में पूछा तो काफी विचार कर देना बताया। कितनी राशि दी गई बाबत पूछने पर दो-पांच लाख रूपये के लगभग देना व समय डेढ़ दो महिने पहले देना बताया। पूछताछ के दौरान राजकुमार शर्मा ने बरामद राशि स्वयं के मामा श्री बुद्धिप्रकाश निवासी सांगानेर, जयपुर को उधार चुकाने हेतु लेकर आना बताया। श्री राजकुमार शर्मा उससे बरामद राशि के संबंध में पूछने पर इस तरह बार बार नई नई बात बता रहा है। इसी प्रकार उपर्युक्त में से तीन संदिग्ध कर्मचारियों श्री भैरूलाल गोस्वामी, श्री शक्ति प्रकाश सिसोदिया तथा श्री महावीर रैगर से भी पृथक-पृथक व बारी-बारी पुनः पूछताछ करने पर उनसे बरामद राशि के संबंध में पूर्व में बताये गये कथनों की ताईद की तथा तीनों दिनांक 02.05.2024 को घूमने के लिए गोवा जाने की बात बताकर उनसे बरामद राशि खर्चे के लिए घर से लेकर आना बताया एवं श्री भैरूलाल गोस्वामी के मोबाईल में गोवा की फ्लाईट के तीनों संदिग्ध कर्मचारियों के टिकिट होना बताया। जिस पर श्री भैरूलाल के मोबाईल में सेव टिकिट की कार्यालय के कम्प्यूटर व प्रिंटर की मदद से प्रिंट निकलाया जाकर तीनों संदिग्ध कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। संदिग्ध कर्मचारी श्री शक्तिप्रसाद सिसोदिया द्वारा स्वयं के खाता संख्या 51007995465 एस.बी.आई. बैंक इन्द्रा मार्केट बूंदी से दिनांक 30.04.2024 को बैंक से राशि 50000 रूपये निकालने के संबंध में बैंक से प्राप्त मैसेज का कार्यालय के कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की मदद से प्रिंट निकलवाया जाकर शक्तिप्रकाश के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी प्रकार संदिग्ध कर्मचारी श्री रामसागर गुर्जर द्वारा पुनः पूछने पर खाटूश्यामजी जाने के लिए उससे बरामद राशि अपने घर से लाना बताया तथा वाहन संख्या आर जे 08 सीबी 4398 मारूती बलेनो स्वयं की होना बताया। उपर्युक्त पांचो संदिग्ध कर्मचारियों से पूछने पर सभी ने विभागीय कार्य से अरण्य भवन, वन विभाग, जयपुर आना बताया। उपरोक्तानुसार विवेचन से श्री शक्ति प्रकाश वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक बूंदी के पास से मिली राशि 50,000 रूपये उसने स्वयं के बैंक खाते से निकलवाना बताया तथा मोबाईल पर 50000 रूपये कैश निकासी का मैसेज भी उपलब्ध है तथा 11320 रूपये स्वयं के घर से लाना बताया है एवं शक्ति प्रकाश के पास कल दिनांक 02.05.2024 को फ्लाईट से गोवा जाने की टिकिट भी उपलब्ध है। जिससे शक्तिप्रकाश के पास मिली राशि कुल 61320 रूपये प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध प्रतीत नहीं होती है। अतः शक्तिप्रकाश के पास मिली कुल राशि 61320 रूपये को शक्तिप्रकाश को लौटाई गई। इसी प्रकार भैरूलाल गोस्वामी के पास मिली राशि 29500 रूपये को उसके द्वारा स्वयं के घर से लाना एवं भैरूलाल गोस्वामी के पास कल दिनांक 02.05.2024 को फ्लाईट से गोवा जाने की टिकिट भी उपलब्ध है। जिससे भैरूलाल गोस्वामी के पास मिली राशि कुल 29500 रूपये प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध प्रतीत नहीं होती है। अतः भैरूलाल गोस्वामी के पास मिली कुल राशि 29500 रूपये को भैरूलाल गोस्वामी को लौटाई गई। इसी प्रकार रामसागर गुर्जर के पास मिली राशि 3100 रूपये एवं महावीर प्रसाद रैगर के पास मिली राशि 5170 रूपये के संदर्भ में इनके द्वारा दिये गये वर्जन से उक्त राशि संदिग्ध प्रतीत नहीं होने से रामसागर गुर्जर को 3100 रूपये व महावीर प्रसाद रैगर को 5170 रूपये की राशि लौटाई गई। श्री राजकुमार शर्मा वन रक्षक रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी के पास मिली राशि 95000 रूपये व 10,200/-रूपये के संदर्भ में श्री राजकुमार शर्मा द्वारा अपने प्रथम स्पष्टीकरण में यह राशि बंटी माली से सरसों बेचने की राशि बताई व उसके उपरांत राजकुमार शर्मा की वार्ता बंटी माली से कराने पर उसके द्वारा सरसों बेचने का कार्य व उससे संबंधित राशि राजकुमार शर्मा के पिता श्री केदार नारायण शर्मा को देना बताया। जिस पर राजकुमार शर्मा द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण में इन कथनों की ताईद करते हुए राशि 95000 रूपये व 10,200/-रूपये स्वयं के पिता से लाना बताया तथा किस दिनांक को व कब लेकर आया इस बारे में विशिष्ट जानकारी राजकुमार शर्मा द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई एवं राजकुमार शर्मा के पिता से वार्ता करने पर उनके द्वारा राजकुमार शर्मा को सरसों बेचकर दो-पांच लाख रूपये देने की बात कही परंतु कब दिये यह स्पष्ट नहीं बताया एवं राजकुमार शर्मा द्वारा यह राशि किसे दी जाने थी के बारे में पूछने पर सांगानेर निवासी स्वयं के मामा को उधारी चुकाने के लिए लाना बताया, जबकि राजकुमार शर्मा बूंदी से आते समय सांगानेर होते हुए कार्यवाही स्थल अरण्य भवन आया है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से श्री राजकुमार शर्मा के पास मिली संदिग्ध राशि 95000 रूपये व 10,200/-रूपये के संदर्भ में राजकुमार शर्मा का स्पष्टीकरण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है एवं तथ्यों से राजकुमार शर्मा के पास मिली संदिग्ध राशि 95000 रूपये व 10200 रूपये कुल 105200 रूपये की राशि के संदर्भ में मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के तथ्यों की प्रारंभिक पुष्टि होती है। जिसकी जांच किया जाना आवश्यक होने से श्री राजकुमार शर्मा वन रक्षक, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी के पास मिली संदिग्ध राशि 105200 रूपये तथा श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल ओपो कंपनी, मॉडल ए 53, जिसमें मोबाईल नं. व की मोबाईल सिम लगी हुई है, जिसका आई.एम.ई.आई 1-862610051943853 तथा आई.एम.ई.आई 2-862610051943846 है। मोबाईल का पासवर्ड 060792 है को फ्लाईट मोड पर कर राशि 105200 रूपये को धारा 102 सी.आर.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप जप्त किया तथा मोबाईल को वास्ते जांच कब्जा ए.सी.बी. लिया गयां। बाद कार्यवाही राजकुमार शर्मा, शक्ति प्रकाश, भैरूलाल गोस्वामी, रामसागर गुर्जर, महावीर प्रसाद रैगर को रूखसत किया गया। दौराने कार्यवाही संदिग्ध राशि 105200 रूपये व श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल के अलावा अन्य कोई राशि, मोबाईल, वस्तु, दस्तावेज, वाहन जप्त/जांच हेतु नहीं लिये गये। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द चैकिंग तैयार की जाकर उपस्थित गवाहान व

[redacted]



पांचो संदिग्धान को पढ़ाई सुनाई, सभी ने पढ़ सुन समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द आकस्मिक चैकिंग के दौरान आरोपी श्री राजकुमार शर्मा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक, मानने योग्य नही होने व अधिक मात्रा में अवैध व संदिग्ध राषि मिलना एक दिवसीय चैक पीरियड में आय से अधिक सम्पत्ति का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री राजकुमार शर्मा, हाल वन रक्षक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में एक दिवसीय चैक पीरियड में आय से अधिक सम्पत्ति का अपराध प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया है। दिनांक 01.05.2024 को दौराने आकस्मिक चैकिंग आरोपी श्री राजकुमार शर्मा के लिये गये स्पष्टीकरण जिसे विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर सेव किया गया था उस रिकॉर्डेड वार्ता/स्पष्टीकरण का स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता रूपान्तरण किया जाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट स्पष्टीकरण वार्ता श्री राजकुमार शर्मा तैयार की जाकर मूल सोर्स विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32 GB को कार्यालय लेपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वॉईस क्लिप्स को बारी-बारी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने एक आवाज अपनी स्वंय की तथा अन्य वार्ता में एक आवाज आरोपी राजकुमार शर्मा के बतायेनुसार मोबाइल नम्बर धारक बंटी सैनी तथा मोबाइल नम्बर धारक केदार नारायण शर्मा की होने की पहचान की। उक्त वार्ताओं का शब्द ब शब्द वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया तथा रिकॉर्डेड वार्ताओं की डीवीडी बनवाने हेतु कार्यालय से Sandisk Ultra 32 GB 5 डीवीडी मंगवायी जाकर डीवीडीयां खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप की सहायता से मूल सोर्स विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32 GB से 5 डीवीडी में राईट/बर्न की जाकर 5 डीवीडीयों में वाईस क्लिप्स व विडियो क्लिप्स होना सुनिश्चित कर डीवीडियों पर क्रमशः मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 अंकित किया जाकर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर 3 डीवीडी मार्क A-1, A-2, A-3 को अलग-अलग डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर मार्क क्रमशः A-1, A-2 (न्यायालय हेतु) A-3 (आरोपी हेतु) अंकित कर थैलियों पर भी गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। डीवीडी मार्क A-4 एडीपी एवं A-5 अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी जाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा स्पष्टीकरण वार्ता मे उपयोग मे लिये गये मैमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32 GB (मूल सोर्स) को एक प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे डाला जाकर सिल्ड मोहर कर मार्क SD.1 तथा विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर (मूल सोर्स) को कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क DVR अंकित कर थैली पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इस बाबत् पृथक से फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई व आर्टिकल्स जमा मालखाना करवाये गये। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही व आरोपी श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री केदार नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम धोला का खेड़ा, तहसील मालपुरा, पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक हाल पेशा वन रक्षक रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक, मानने योग्य नही होने व अधिक मात्रा में अवैध व संदिग्ध राषि मिलना एक दिवसीय चैक पीरियड में आय से अधिक सम्पत्ति का अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट विरूद्ध उक्त श्री राजकुमार शर्मा धारा उपर्युक्त में तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु प्रस्तुत है। (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुरनगर द्वितीय, जयपुर .........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री छोटी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री केदार नारायण शर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम धोला का खेड़ा, तहसील मालपुरा, पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक हाल पेशा वन रक्षक रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री मूलचंद मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 769 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 715-18 दिनांक 10.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर प्रथम, जयपुर। 2.उप वन संरक्षक एवं उप वन क्षे०त्र (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व,बून्दी। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** MOOL CHAND MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/07/2024 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Vishanaram

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

[redacted]



**Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1989 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)